प्रकरण संख्या :– 09/26
उनवान :– मुकेश वगै0 बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :– 15.04.2026

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 09/26
दायर दिनाँक :– 10.02.2026
निर्णय दिनाँकः– 15.04.2026

उनवान :– मुकेश वगै0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 मनोहरथाना

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार, सरकार पैरोकार
2 श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थीगण नं0 1 मुकेश कुमार पुत्र दुर्गालाल एवं नं0 2 कुसुमलता पुत्री दुर्गालाल पत्नी कमलेश जाति लोधा निवासीयान बट्टूखेडी तह0 मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता दिनांक 10.02.2026 को उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम किशनपुरा उर्फ मोगियाबह पटवार हल्का बांसखेडा तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 13 (पुराना 12) की कुल किता 02 की कुल आराजी 0.3723 हैक्टेयर प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगणों का नाम त्रुटि वश गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी नं0 1 व 2 का सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः मुकेश कुमार पुत्र दुर्गालाल एवं कुसुमलता पुत्री दुर्गालाल है। जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थीगणों के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थीगणों को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थीया ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थीगणों ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगणों का नाम '' नाबा0 कालूलाल व नाबा0 गुड्डीबाई '' के स्थान पर '' मुकेश कुमार व कुसुमलता '' संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। प्रार्थीगणों ने इस प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस प्रार्थना–पत्र को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया है, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन एवं मनन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगणों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि प्रार्थीगणों का नाम जमाबंदी में त्रुटीवश गलत दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारीं, मनोहरथाना